

भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद-टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक में एस0सी0टी0 के अन्तर्गत आर0के0के0 मोटर मार्ग से भरवाकाटल-श्रीपुर मोटर मार्ग (5.00 कि0मी0) के निर्माण हेतु 2.975 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 अस्थाई खण्ड, थत्पुड को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii)	वन प्रभाग	गसूरी वन प्रभाग
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	2.975 हैक्टर वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	1.3125 हैक्टर आरक्षित वन भूमि बांदल वीट-क0स0-2 1.6625 हैक्टर सि0सो0 / वन पंचयत वन भूमि ग्राम श्रीपुर एवं मथेट गांव 2.975 हैक्टर
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.50
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संवन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाएं)	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 255 वृक्ष वाधित हैं। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के संलग्नक- 17 से 28 पर चस्पा है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त रिप्पणी	इस बावत भूवैज्ञानिक, मुख्य अभियन्ता स्तर-1 उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून की दिनांक 9 जुलाई 2009 तथा 22 दिसम्बर 2010 की भू-तर्भीय आख्या संलग्नक-47 से 52 तक प्रस्ताव पर चस्पा है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि बांदल वीट कक्ष क0स0-2 एवं ग्राम श्रीपुर व ग्राम मथेट की सीमा अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्योत, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव बार्डन की रिप्पणियां अनुबधिति की जाएं)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक-30 पर प्रमाण पत्र दिया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य गहत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक /लो0नि0वि0 एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक-58 पर प्रमाण पत्र दिया गया है।

8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बायत प्रस्तावक विभाग एवं राजस्व विभाग, द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक 55 एवं 57 पर चस्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	- नहीं-
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन व मानचित्र प्रस्ताव के संलग्नक-38 A से 38 C पर चस्पा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन/मानचित्र प्रस्ताव के संलग्नक-38 A से 38 C पर चस्पा है। साथ ही प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक-41 A पर चस्पा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियाँ सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ब्यौरा आदि।	प्रजातियाँ:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियाँ। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ₹0 7,80,000.00 (₹0 सात लाख अस्सी हजार मात्र) प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्नक 41A पर चस्पा है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	1. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ₹0 7,80,000.00 (₹0 सात लाख अस्सी हजार मात्र) 2. प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु ₹0 16,00,000.00 (₹0 दस लाख मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की उपयुक्तता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक - 38 D पर चस्पा है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके संलग्नक-11 पर है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि० 25.10.2013 को किया गया है, जो कि संलग्नक-11ए पर की गई संयुक्त निरीक्षण के साथ संलग्न है।


 दि० २५.१०.२०१३

12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला- टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4421 वर्ग कि०मी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4058.90 वर्ग कि०मी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 75 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 586.586 है० है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 431.847 है० है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 119.5422 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1-233.64 है० में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक: 11. 03, 2014 ।

स्थान:- मसूरी,

हस्ताक्षर

नाम:- (डा० धीरज पाण्डेय)

प्रभागिय वनाधिकारी
सरकारी मुहर

भाग-III

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम जनपद-टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक में एस0सी0टी0के अन्तर्गत आर0के0मोटर मार्ग से भरवाकाटल-श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 कि0मी0) के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.975 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भू- प्रत्यावर्तन की स्वीकृति का प्रस्ताव ।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं ।
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांक 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है

दिनांक - 8 / अप्रैल 2014
स्थान - देहरादून ।

हस्ताक्षर

नाम - (आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
वन संरक्षक
यमुना वृत, देहरादून ।

19



भाग-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हैं/नहीं) यदि हैं तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर:

तिथि.....

नाम और पदनाम

स्थान.....

सरकारी मोहर

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

(10) 71

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 17- राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग-II या भाग-III या
भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

www.oxpdf.com